निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 श्रावण 1933 (शo)

(सं0 पटना 403) पटना, शुक्रवार, 5 अगस्त 2011

सं0 3/एफ-4-1/99—6655

वित्त विभाग

संकल्प

21 जुलाई 2011

फिटमेंट कमिटि द्वारा केन्द्रीय सरकार के अनुरूप प्रतिनियुक्ति भत्ता की अनुशंसा किये जाने के क्रम में वित्त विभाग के संकल्प संख्या 7469, दिनांक 16 नवम्बर 1999 की कंडिका-2 (ग) (V)द्वारा राज्य सरकार के स्वशासी निकायों/संस्थानों से राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति नहीं करने का आदेश निर्गत किया गया था ।

ज्ञातव्य हो कि दिनांक 16 नवम्बर 1999 के बाद राज्य सरकार में प्रतिनियुक्त लोक उपक्रमों/स्वशासी निकायों के कतिपय कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करते हुए वित्त विभागीय संकल्प संख्या 7469, दिनांक 16 नवम्बर 1999 की कंडिका-2 (ग) (V) तथा वित्त विभागीय परिपत्र सं0-7752, दिनांक 25 सितम्बर 2002 को निरस्त करने की अधियाचना की गयी थी तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0 डब्लयू0 जे0 सी0 सं0-12364/02 एवं अन्य सदृश मामले में दिनांक 26 फरवरी 2003/31 मार्च 2003 को पारित आदेश द्वारा उपर्युक्त संकल्प सं0 7469, दिनांक 16 नवम्बर 1999 की कंडिका- 2 (ग) (V) एवं परिपत्र सं0-7752, दिनांक 25 सितम्बर 2002 को निरस्त कर दिया गया था। इस न्यायादेश के विरूद्ध सरकार द्वारा दायर एल0 पी0 ए0 सं0-क (1) 482/03 एवं इसी प्रकार के अन्य दायर याचिका में एक साथ सुनवाई के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02 सितम्बर 2003 को पारित न्यायादेश द्वारा दिनांक 26 फरवरी 2003 एवं दिनांक 31 मार्च 2003 के न्यायादेश को रद्द करते हुए निर्णय दिया गया कि राज्य सरकार द्वारा लिए गये नीति निर्णय के तहत निर्गत संकल्प सं0 7469, दिनांक 16 नवम्बर 1999 में संसूचित निर्णय उचित है । इस निर्णय से सभी विभागों को वित्त विभागीय पत्रांक 7791, दिनांक 07 अक्तूबर 2003 द्वारा संसूचित किया गया । इस प्रकार लोक उपक्रमों/स्वशासी निकायों के कर्मियों के सरकारी विभागों में प्रतिनियुक्ति पर रोक प्रभावी बनी हुई है ।

2. दिनांक 27 नवम्बर 2009 की विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में वर्ष 1999 से विभिन्न उपक्रमों से सरकारी विभागों में प्रतिनियुक्ति पर लगायी गयी रोक को हटाने के संबंध में सरकार का निर्णय प्राप्त कर लेने का निर्णय लिया गया ताकि विभागों में प्रतिनियुक्ति पर लेने की कार्रवाई की जा सके ।

सरकारी विभागों में श्रेणी तीन के कर्मचारियों की घोर कमी तथा कार्य हित में वर्त्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए लोक उपक्रमों के कर्मियों को सरकारी विभागों में प्रतिनियुक्ति पर लेने की आवश्यकता महसूस की जा रही है ।

अतएव मंत्रिपरिषद के निर्णय के आलोक में वित्त विभाग के परिपत्र सं0-7469 दिनांक 16 नवम्बर 1999 की कंडिका-2 (ग)(V) में प्रतिनियुक्ति पर लगाई रोक को निरस्त किया जाता है एवं संलग्न परिशिष्ट में वर्णित प्रतिनियुक्ति की निर्धारित पात्रता/प्रक्रिया/ शर्त्तो के अनुरूप कार्रवाई करने का आदेश दिया जाता है ।

3. निगम/बोर्ड के कर्मचारियों को निगम में कार्यरत रहते हुए, जो वेतन तथा जीवन यापन भत्ता मिल रहा था और जो अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र में अंकित है वही वेतन प्रतिनियुक्ति की अवधि में देय होगा । पैतृक बोर्ड/निगम के द्वारा जब निगम/बोर्ड में कार्यरत अन्य कर्मियों को बढ़ी हुई दर से वेतन एवं जीवन यापन भत्ता की स्वीकृति दी जाएगी तो उसके अनुसार बढ़ी हुई दर से वेतन एवं जीवन यापन भत्ता का भुगतान किया जाएगा । परंतु जिस पद पर संबंधित कर्मी की प्रतिनियुक्ति की गयी है, उसी पद पर कार्यरत राज्य सरकार के कर्मी को राज्य सरकार द्वारा देय वेतनमान के यदि ज्यादा वेतन संबंधित बोर्ड/निगम द्वारा स्वीकृत कर दिया जाता है, तो संबंधित कर्मी की सेवा उनके पैतृक बोर्ड/निगम को वापस कर दी जाएगी ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मदन मोहन प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव ।

"परिशिष्ट"

बोर्ड/निगम के कर्मियों को राज्य सरकार के अधीन
विभागों/कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति की पात्रता/प्रक्रिया/शर्तें।

पात्रता

1. बोर्ड/निगम में नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मचारी को ही प्रतिनियुक्ति पर लिया जायेगा।
2. प्रतिनियुक्ति किये जाने वाले कर्मी की आयु सीमा 55 वर्ष होगी।
3. संबंधित कर्मी के विरुद्ध किसी प्रकार की अनुशासनिक कार्यवाही लंबित नहीं होनी चाहिए और न ही पूर्व में अनुशासनिक कार्यवाही के दौरान दंडित हुए हो।
4. संबंधित कर्मी की नियुक्ति के संबंध में किसी प्रकार का विवाद नहीं रहना चाहिए और न ही इस संबंध में किसी प्रकार की जांच लंबित रहनी चाहिए।
5. संबंधित कर्मी के विरुद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला लंबित नहीं हो।
6. अस्थायी या दैनिक वेतन भोगी कर्मी को प्रतिनियुक्ति पर नहीं लिया जाएगा।

प्रक्रिया

1. संबंधित कर्मी की प्रतिनियुक्ति राज्य सरकार के अधीन विभागों/कार्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों के ही विरुद्ध की जाएगी।
2. वर्ग IV के पदों पर प्रतिनियुक्ति के निर्णय के पूर्व प्रशासी विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जाएगी; वित्त विभाग अनुमान्यता के आलोक में रिक्तियों के आकलन से संतुष्ट होकर सहमति देगा।
3. प्रतिनियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया में आरक्षण प्रावधानों का पालन किया जाएगा।
4. प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित विभाग द्वारा समाचार–पत्र में विज्ञापन के माध्यम से बोर्ड/निगम के अतिरेक कर्मियों का आवेदन पत्र प्राप्त किया जायेगा। प्राप्त आवेदन पत्रों का Screening संबंधित विभाग करेंगे तथा उस पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमिटि का अनुमोदन प्राप्त कर एक पैनल तैयार करेगी। विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमिटि में प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/संबंधित बोर्ड/निगम के प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव, प्रतिनियुक्ति पर लेने वाले विभाग के प्रधान सचिव/सचिव तथा संबंधित बोर्ड/निगम के प्रबंध निदेशक होंगे। कमिटि द्वारा तैयार किये गये पैनल के आधार पर प्रतिनियुक्ति पर कर्मियों को लेने वाले विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति आदेश निर्गत किया जाएगा।

शर्तें

(i) निगम/बोर्ड के कर्मचारियों को निगम में कार्यरत रहते हुए, जो वेतन तथा जीवन यापन भत्ता मिल रहा था और जो अंतिम वेतन प्रमाण–पत्र में अंकित है वही वेतन प्रतिनियुक्ति की अवधि में देय होगा। पैतृक बोर्ड/निगम के द्वारा जब निगम/बोर्ड में कार्यरत अन्य कर्मियों को बढ़ी हुई दर से वेतन एवं जीवन यापन भत्ता की स्वीकृति दी जाएगी तो उसके अनुसार बढ़ी हुई दर से वेतन एवं जीवन यापन भत्ता का भुगतान किया जाएगा। परंतु जिस पद पर संबंधित कर्मी की प्रतिनियुक्ति की गयी है, उसी पद पर कार्यरत राज्य सरकार के कर्मी को राज्य सरकार द्वारा देय वेतनमान के यदि ज्यादा वेतन संबंधित बोर्ड/निगम द्वारा स्वीकृत कर दिया जाता है, तो संबंधित कर्मी की सेवा उनके पैतृक बोर्ड/निगम को वापस कर दी जाएगी।

(ii) प्रतिनियुक्ति अवधि में प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।

(iii) प्रतिनियुक्ति अवधि में कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर उनकी सेवा पैतृक बोर्ड/निगम को वापस करने का पूर्ण अधिकार संबंधित विभाग/कार्यालय प्रधान को होगा।

(iv) प्रतिनियुक्ति की अवधि में मृत्यु की स्थिति में सेवांत लाभ का भुगतान पैतृक निगम/बोर्ड द्वारा की जाएगी तथा अनुकंपा का लाभ उनके पैतृक बोर्ड/निगम द्वारा उनके विधिमान्य नियमों के अधीन ही देय होगा।

(v) प्रतिनियुक्त लिपिक/सहायक संवर्ग के कर्मियों को 6 माह के अंदर Computer टंकण का ज्ञान हासिल करना जरूरी होगा अन्यथा उनकी सेवा वापस कर दी जाएगी।

(vi) प्रतिनियुक्ति को समायोजन के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता है।

(vii) प्रतिनियुक्ति की अवधि इनके पैतृक बोर्ड/निगम में सेवाकाल में गणना की जाएगी।

(viii) पैतृक बोर्ड/निगम में बितायी गयी अवधि का कोई भी देय बकाया राशि का भुगतान प्रतिनियुक्त कार्यालय/विभाग के द्वारा नहीं किया जायेगा।

(ix) बाह्य सेवा में कार्यभार ग्रहण करने एवं वहाँ से प्रत्यावर्तित होकर पुनः कार्यभार ग्रहण करने हेतु पद ग्रहण काल का वेतन एवं भत्ता प्रतिनियुक्ति विभाग/कार्यालय द्वारा देय होगा।

(x) प्रतिनियुक्ति की अवधि में यात्रा भत्ता की सुविधाएं विभाग/कार्यालय प्रधान द्वारा देय होगी, जो राज्य सरकार के नियमों से न्यूनतम नहीं होगी।

(xi) प्रतिनियुक्ति की अवधि में राज्य सरकार के अवकाश नियमों से शासित होंगे।

(xii) प्रतिनियुक्ति की अवधि में सरकार द्वारा लागू किसी पेंशन योजना/बीमा योजना का लाभ देय नहीं होगा।

(xiii) प्रतिनियुक्ति की अवधि में सरकार से किसी प्रकार का दीर्घकालीन अग्रिम तथा मोटर कार अग्रिम/मोटर साईकिल अग्रिम/भवन निर्माण अग्रिम प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

(xiv) प्रतिनियुक्ति की अवधि में संबंधित बोर्ड/निगम में प्रचलित भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि की अंशदान की राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित बोर्ड/निगम को संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा जमा किया जाए।

(xv) प्रतिनियुक्ति के लिए चयन होने के पश्चात् संबंधित कर्मियों की सेवा पुस्त की अभिप्रमाणित छायाप्रति संबंधित विभाग/कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी संबंधित बोर्ड/निगम की होगी।

(xvi) प्रतिनियुक्ति एक बार में तीन साल के लिए की जाएगी तथा संबंधित बोर्ड/निगम तथा प्रतिनियुक्ति पर कर्मी को लेने वाले वाले विभाग की सहमति से प्रतिनियुक्ति की अवधि को बढ़ाया जा सकेगा, परंतु संबंधित बोर्ड/निगम में सेवा निवृत्ति की निर्धारित आयु अथवा राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मियों के लिए निर्धारित सेवा निवृत्ति की आयु में जो भी कम हो, उस आयु को प्राप्त करने के एक वर्ष पूर्व संबंधित कर्मी की सेवा स्वतः संबंधित बोर्ड/निगम को वापस हो जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मदन मोहन प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 403-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in